किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर परियोजना अर्थक्षम नहीं पाई गई थी। तथापि, चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन संबंधी अवसंरचनाओं में सुधार के लिए यह लाइन अपेक्षित है इसलिए इसे आठवीं योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जायेगा।

दूध की कमी के संबंध में सांसदों से शिकायतें

852. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, 1991 में, सरकारी तथा दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सांसदों से राजधानी में दूध की कमी की समस्या के बारे में प्राप्त किए गए पत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है

(ग) क्या यह सच है कि सांसदों के प्रति डी०एम०एस० प्राधिकारियों का रवैया उचित नहीं है तथा आपत्तिजनक है और इस संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और क्या इस संबंध में कोई निर्देश जारी किये गये हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क है;

(ङ) राजधानी में दूध की उचि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अ तक क्या कदम उठाये गये हैं और उन क्या परिणाम निकला है; और

(च) उपभोक्ताओं की शिकायतों प्रति संतोषजनक रूप से कार्यवाही क के लिए डी०एम०एस० के जन सम्प विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिये क कदम उठाये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) और (ख एक विवरण संलग्न है। ((नीचे देखिए

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) दिल्ली दुग्ध योजना एवं मे डेरी दिल्ली दोनों मिलकर दिल्ली प्रति दिन लगभग 10.5 लाख ली दूध की आपूर्ति कर रहे हैं।

(च) दिल्ली दुग्ध योजना में ए शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है ज प्रत्येक शिकायत दर्ज की जाती है ए एक समय सीमा के भीतर उस कार्रवाई की जाती है।

दूध की कमी के सम्बन्ध में माह अगस्त 1991 के दौरान माननीय संसद सदस्य से प्राप्त संदर्भों के विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही

सदस्य का नाम	संदर्भ तिथि	की गई कार्यवाह
1	2	3
1. श्रीमती कमला सिन्हा संसद सदस्या, 21 मीना बाग, नई दिल्ली	1-8-91	21-8-1991 को आपूर्ति सुनिश्चित क दी गयी थी।
2. श्री सज्जन कुमार, संसद सदस्य 713-ए/बी, पश्चिम विहार, नई दिल्ली	2-8-91	दो क्रेट दूध बढ़ा दिया गया है।

1	2	3
3. श्री सज्जन कुमार, संसद सदस्य, (पत्र नहीं था, बल्कि माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसा की गई थी)	3-8-91	श्री वासन को दो लीटर दुग्ध की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई थी।
4. श्री बी० एन० शर्मा प्रेम संसद सदस्य, 1 वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली	20-8-91	दूध के दो क्रेट बढ़ा दिये गये हैं और नये डिपो खोलना संभव नहीं है।
5. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम संसद सदस्य, 1 वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली	20-8-91	दूध के वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उपभोक्ताओं ने डिपो की कार्यप्रणाली को संतोषजनक पाया है।
6. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम संसद सदस्य, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली	20-8-91	ट्रैफिक की भीड़भाड़ एवं फ्लाई-ओवर ब्रिज के निर्माण के कारण भारी वाहन के ड्राइवर के लिए शाम के समय के दूध उतारना संभव नहीं था। फिर भी भारी वाहन ड्राइवर को यह निर्देश दिया गया है कि वह उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिपो के नजदीक दूध को उतार दे।
7. श्री जगदीश टाइटलर, भूतल परिवहन राज्य मंत्री	20-8-91	उपभोक्ता को दूध की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई थी।
8. श्री समर मुखर्जी संसद सदस्य 12, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली	20-8-91	मामले की जांच की गई है और वितरण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।
9. श्री वासुदेव आचार्य, संसद सदस्य 2, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली	31-8-91	विठ्ठल भाई पटेल हाऊस में दो क्रेट दूध की आपूर्ति बढ़ा दी गई है।
10. श्री जी० स्वामीनाथन, संसद सदस्य, 28, कैनिंग रोड, नई दिल्ली	23-8-91	दुग्ध की आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है।
11. श्री जगदीश टाइटलर, भूतल परिवहन राज्य मंत्री	23-8-91	दुग्ध की कोई कालाबाजारी नहीं पाई गई। अधिकतम दो लीटर के साथ "पहले आये पहले पाये" के आधार पर दुग्ध बांटा जाता है।
12. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी, संसद सदस्य 12-ई, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली	23-8-91	सुबह दूध के तीन क्रेट और शाम को दूध के दो क्रेट बढ़ा दिये गये हैं।

1	2	3
13. श्री बी० एल० शर्मा प्रेम संसद सदस्य, 1, वेस्ट: कोर्ट, जनपथ, नई दिल्ली	6-8-91	इस समय नया डिपो खोलना सभव नहीं है ।
14. श्री मदन लाल खुराना संसद सदस्य, एफ-104, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	16-8-91	दो क्रेट दुग्ध की आपूर्ति बढ़ाई गई है ।
15. श्री सूर्य नारायण यादव, संसद सदस्य, 148, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	16-8-91	दो क्रेट दूध की आपूर्ति बढ़ाई गई है ।

Exploitation of Beedi Workers in Uttar Pradesh

853. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the untold miseries being unleashed by the owners of Beedi Factories and their Sattedars on Beedi workers in Allahabad region, specially in Mordabad and Gursahai-Ganj in the matter of payment of wages, implementation of minimum wages, illegal deduction from the wages, etc.;

(b) whether it is a fact that Ghar Khata workers are not supplied adequate/prescribed quantity of raw material and are forced to produce more beedis than the raw material supplied, failing which their wages are deducted at will; and

(c) if so, what steps Government propose to take to prevent exploitation of beedi workers at the hands of their employers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABANSING GHATOWAR): (a) Implementation of 'Minimum Wages Act, 1948' and 'Payment of Wages Act, 1936' is the responsibility of the State Governments and they are required to take necessary action in the matter wherever contravention are noticed.

(b) and (c) A meeting of the representatives of State Government, Employees and Employers Union and the Central Government Officers was held on 3rd July, 90 under the Chairmanship of former Labour Minister to consider the difficulties faced by beedi workers. One of the points considered in the Meeting was regarding inadequate supply of raw material. As per decision taken in the said meeting the State Governments were requested to set up Tripartite Committee to standardise the raw material for manufacturing specified number of beedis. Matter is being followed up with the State Governments as and when specific reports/complaints in this regard are received.

उत्तर प्रदेश में बीजों की कमी

854. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में बीज की नई किस्मों की कमी है;